कार और बस की आमने-सामने भिड़ंत, युवक की जलने से मौत

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में लगा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई

रतनगढ़, (निसं)। नेशनल हाईवे-11 पर टिडियासर टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर पहले शुक्रवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। फतेहपुर की ओर से आ रही कार और चूरू की दिशा में जा रही बस की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में लगा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और कार आग की लपटों में घिरकर देखते ही देखते कबाड़ में तब्दील हो गई। सूचना पर थाना अधिकारी गौरव खिड़िया पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। हादसे में रतनगढ़ (चूरू) निवासी 22 वर्षीय युवक ओमप्रकाश सोनी की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। धमाके और आग की तेज लपटों से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।आग पर काबू पाने के बाद निकाला गया शव।

कार आग की लपटों में घिरकर कबाड़ में तब्दील हो गई।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जलती हुई कार पर काबू पाया। आग बुझने के बाद बुरी तरह से जली कार से शव को बाहर निकाला गया।

मृतक युवक (फाइल फोटो)।

- धमाके और आग की तेज लपटों से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई, आग पर काबू पाया

पुलिस द्वारा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे के चलते नेशनल हाईवे-11 पर लंबा जाम लग गया। पुलिस टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में राहगीर और स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चलती बाइक पर पलटा टेम्पो, दम्पती और बेटी घायल

पावटा, (निसं)। विराटनगर-पावटा सड़क मार्ग पर गुरुवार शाम एक इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा बेकाबू टेंपो गड्ढों को बचाने के कारण बाइक पर पलट गया। इस हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनकी बेटी घायल हो गए।

- विराटनगर-पावटा सड़क मार्ग पर हो रहे गड्ढों के कारण हादसा हुआ
- प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों को जयपुर रेफर कर दिया

विराटनगर-पावटा सड़क मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा बेकाबू टेंपो एक बाइक पर पलट गया।

सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही विराटनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से एम्बुलेंस द्वारा घायल पति-पत्नी और बेटी को विराटनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों को जयपुर रेफर कर दिया। विराटनगर थाना हेड कॉन्स्टेबल रामकृष्ण यादव ने बताया कि छीतौली निवासी विष्णु शर्मा अपनी पत्नी हंसा और बेटी अंजलि को विराटनगर डॉक्टर को दिखाकर वापस घर लौट रहे थे। गोगेरा मोड़ के पास सामने से आ रहा इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा टेंपो गड्ढों के कारण अनियंत्रित होकर उनकी बाइक पर पलट गया। हादसे के बाद टेंपो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और टेंपो को थाने पर खड़ा कर दिया है।

यूएस बिलेनियर रामा राजू मंटेना की बेटी की शादी की कई रस्में हुईं

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर में हो रही यूएस बिलेनियर रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना व वामसी गडिराजू की रॉयल वेडिंग को लेकर शहर में फिल्मी सितारों सहित कई विदेशी हस्तियां उदयपुर आ चुकी है। इस लेविश वेडिंग में भाग लेने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे भी आएंगे जो गुरूवार को भारत पहुंच ताजमहल देखने गए थे। जूनियर ट्रम्प शादी में भाग लेने शुक्रवार रात उदयपुर पहुंच गए। डबोक एयरपोर्ट पर उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। वे तीन दिन तक उदयपुर में ही होटल लीला पैलेस में रूकेंगे।

- अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड टम्प के बेटे जूनियर ट्रम्प समेत शाहीद, कृति, जैकलीन, माधुरी, शाहिद, सोफिया चौधरी आदि उदयपुर पहुंचे

रॉयल वेडिंग को लेकर उदयपुर के सिटी पैलेस स्थित माणक चौक में शादी के अन्य आयोजन व जग मंदिर में शादी का मुख्य आयोजन होगा। इसको लेकर इवेंट कंपनी ने शाही अंदाज में तैयारियां की है। गुरूवार को इस रॉयल वेडिंग के आयोजन वेलकम पार्टी के साथ शुरू हुए। वेलकम पार्टी में आए गेस्ट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय डीजे टीएस्टो ने थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं मेहमानों को राजस्थानी संस्कृति से रूबरू करवाते हुए मांगणियार की प्रस्तुति भी हुई।

शुक्रवार को शादी के दूसरे दिन दिन में हल्दी की रस्म हुई और दोपहर बाद रात को होने वाली संगीत नाइट के लिए मेहमानों का आना शुरू हो गया। शाम तक बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडीज, माधुरी दीक्षित, शाहीद कपूर उदयपुर पहुंचे चुके थे। कृति सेनन ने यहां आकर रिहर्सल भी की। शाही शादी के लिए ग्लोबल म्यूजिक आइकन जेनिफर लोपेज व जस्टिन बीबर भी अपनी प्रस्तुति देंगे, इनके भी देर रात तक उदयपुर पहुंचने की संभावना है। मेहमानों को लेकर चार्टर लगाए गए हैं, जिनमें वे उदयपुर पहुंच रहे हैं।

जानकारी के अनुसार रामा राजू मंटेना अमेरिका में फार्मा इंडस्ट्री (जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी) के मालिक हैं। उनकी इगनस फार्मास्यूटिकल्स नामक कंपनी कैंसर व दिमागी समस्याओं की दवाएं बनाती है। वर्ष 2017 सितम्बर में उन्होंने तिरूपति बालाजी मंदिर में 28 किलो सोने से बनी सहस्त्रनाम माला भेंट की थी, जहां से वे सुर्खियों में आ गए थे।

ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 23 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज

श्रीकरणपुर निवासी संदीप सेठी ने दो भाइयों पर मुकदमा दर्ज कराया

श्रीकरणपुर, (निसं)। ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 23 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित संदीप सेठी की शिकायत पर दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाने से मिली जानकारी के अनुसार, श्रीकरणपुर के वार्ड संख्या 14 निवासी संदीप सेठी पुत्र कश्मीरी लाल सेठी ने अपनी शिकायत में बताया कि वार्ड 18 निवासी कपिल चुघ उनका परिचित था। कपिल ने संदीप को विश्वास में लिया और बताया कि उसका भाई मनीष चुघ ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवासी है और उसने कई लोगों को ऑस्ट्रेलिया में पीआर दिलवाया है। इसके बाद, कपिल चुघ ने संदीप की अपने भाई मनीष चुघ से फोन पर बात करवाई। मनीष ने संदीप को आश्वासन दिया कि यदि वह कपिल के माध्यम से एक बार ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो वह उसे स्थायी निवास दिलवा देगा। इस आश्वासन के बाद, संदीप ने 31 जनवरी 2023 को कपिल चुघ के यस बैंक और पीएनबी बैंक खातों में अपने एसबीआई बैंक खाते से 15 लाख रुपए और 3 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवाए। शेष 5 लाख रुपए कपिल चुघ को नकद दिए गए। इस भुगतान के बदले कपिल चुघ ने संदीप सेठी को एक सादे सफेद कागज पर पूरा वादा लिखकर हस्ताक्षर करके दिया, जिसे संदीप ने सुरक्षित रखा हुआ है। भुगतान के बाद, कपिल और मनीष ने संदीप को टालमटोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नियम कड़े हो गए हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है, लेकिन वे उसे ऑस्ट्रेलिया में सेट करवा देंगे।

पीड़ित के अनुसार, लगभग एक सप्ताह पहले संदीप सेठी ने कपिल चुघ से कहा कि यदि वे उसे ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज रहे हैं, तो उसके पैसे वापस कर दें। इस पर कपिल चुघ ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें जो ठगी करनी थी, वह कर ली, अब वह जो चाहे कर सकता है। पुलिस ने पीड़ित के परिवाद पर ऑस्ट्रेलिया निवासी मनीष चुघ और श्रीकरणपुर के वार्ड संख्या 18 निवासी कपिल चुघ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच थानाधिकारी रामप्रताप वर्मा कर रहे हैं।

45 दिन बाद चिड़ावा प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया

झुंझुनूं, (निसं)। जिले की चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि दुबारा चिड़ावा प्रधान का कार्यभार संभालने के पांच दिन बाद ही इंदिरा डूडी ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरि ने इसे मंजूर करने में 45 दिन का समय निकाल दिया।

- कार्यभार संभालने के पांच दिन बाद ही चिड़ावा प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था
- जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरि ने इस्तीफा मंजूर करने में 45 दिन का समय निकाल दिया

जिस वक्त इंदिरा डूडी का इस्तीफा मंजूर किया गया और खबर सामने आई, उस वक्त इंदिरा डूडी झुंझुनूं कलेक्ट्रेट में प्रधान के तौर पर सांसद बृजेंद्र ओला की अध्यक्षता में चल रही दिशा की बैठक में मौजूद थी और बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों पर आरोप लगा रही थी। इस बारे में जब इंदिरा डूडी को पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि वे इस्तीफा दे चुकी है। अन्य बातें जल्द ही प्रेस कांफ्रेंस में करेगी। हालांकि उन्होंने कल ही प्रेस कांफ्रेंस करने की बात कही है। इधर, जानकारी में सामने आया है कि अपने निलंबन के बाद हुई जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद प्रधान इंदिरा डूडी ने 1 अक्टूबर 2025 को ही वापस कार्यभार संभाला था। इस कार्यभार संभालने के पांच दिन बाद, यानि कि 6 अक्टूबर 2025 को उन्होंने जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दे दिया था। अब तक यह इस्तीफा सिर्फ फाइलों में था, लेकिन बाहर नहीं आया। आज 45 दिन बाद जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरि ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन पंचायतीराज अधिनियम में इस्तीफा देने के 15 दिन के दरमियान यदि इस्तीफा वापिस नहीं लिया जाता है तो वह प्रभावी हो जाता है। जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरि की मानें तो नियमों के अनुसार ही उन्होंने निधारित समयावधि के बाद इस्तीफा स्वीकार किया है। हालांकि अब कार्यकाल भी 20 दिनों का शेष है।

बैठक में आरोप लगा रही थी और बोली दे रही हूं इस्तीफा :-जिस वक्त सोशल मीडिया पर प्रधान का 6 अक्टूबर का लिखा हुआ इस्तीफा और शुक्रवार को जिला प्रमुख द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उसी वक्त प्रधान इंदिरा डूडी ना केवल दिशा की बैठक में उपस्थित थी। बल्कि चिड़ावा बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों पर आरोप लगा रही थी कि वे कार्य में उनका सहयोग नहीं करते। फाइलों को साइन के लिए उनके पास नहीं भेजते। साथ ही यह भी कह रही थी कि वे अधिकारियों द्वारा सहयोग ना करने पर इस्तीफा देगी, जबकि अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर प्रधान इंदिरा डूडी डेढ महीने पहले छह अक्टूबर को इस्तीफा दे चुकी थी।

20 दिन का कार्यकाल ही शेष :- कांग्रेस की इंदिरा डूडी 10 दिसंबर 2020 को चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान बनीं थी। उन्हें प्रधान बनाने में तत्कालीन मंत्री और वर्तमान सांसद बृजेंद्र ओला व तत्कालीन विधायक जेपी चंदेलिया का योगदान था।

इसके बाद नौ जुलाई 2024 को इंदिरा डूडी के खिलाफ कांग्रेस के ही उप प्रधान विपिन नूनियां व उनके राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी रोहिताश धांगड़ आदि मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाए। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 18 जुलाई 2024 को चर्चा हुई, जिसमें एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। यह वोट भाजपा नेता बबलू चौधरी की पत्नी का था, जो चिड़ावा पंचायत समिति में निर्दलीय सदस्य है। इसके बाद 12 अक्टूबर 2024 को भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोपों के चलते सरकार ने इंदिरा डूडी को निलंबित कर दिया था। कोर्ट में मामला चला। सरकार ने रोहिताश्व धांगड़ को कार्यवाहक प्रधान भी मनोनीत कर दिया, लेकिन इसी दौरान सरकार की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें प्रधान डूडी को क्लीन चिट दे दी गई। क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें बहाल किया गया और आदेशों की पालना में एक अक्टूबर 2025 को इंदिरा डूडी ने वापिस कार्यभार संभाला, लेकिन इसके पांच दिन बाद 6 अक्टूबर 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इंदिरा डूडी ने इस्तीफा जिला प्रमुख को दे दिया। इसके 45 दिन बाद शुक्रवार को जिला प्रमुख ने प्रधान इंदिरा डूडी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

चलते ट्रेलर में अचानक आग लगी, हादसा टला

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के रायला थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के अजमेर-भीलवाड़ा हाईवे- 48 पर एक चलते ट्रेलर में अचानक आग लग गई।

- चालक को समय रहते केबिन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया

घटना सुबह करीब चार बजे बेरा चौराहा के निकट हुई। आग लगने के बाद ट्रेलर की केबिन देखते ही देखते धू-धू कर जल उठी, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने पर रायला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के दौरान चालक को समय रहते केबिन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस घटना में ट्रेलर की आगे की केबिन पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि पीछे का हिस्सा सुरक्षित बच गया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की है और मामले की जांच जारी है।

यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान

सरवाड़, (निसं)। सरवाड़ शहर साहित उपखंड क्षेत्र के किसान इस दिनों यूरिया खाद के लिए दर-दर भटक रहे हैं। किसानों की मांग के अनुसार यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कई ग्राम सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद के साथ नैनो यूरिया देने के कारण कई जगह तकरार देखने को मिल रही है। शहर के कई दुकानदार ऊंचे भाव में यूरिया खाद दे रहे हैं जिससे किसान महंगे भाव में खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। कई बार किसानों ने अधिकारियों को अवगत कराया मगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

यात्री शिकायतों का समाधान

बीकानेर, (निसं)। यात्रियों को श्रेष्ठ सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल के निर्देशन में रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान स्टेशन व ट्रेन में होने वाली असुविधा/शिकायतों के शीघ्र समाधान करने के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्य किये जा रहें हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भूपेश यादव ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2025 तक कुल 34,127 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका शत-प्रतिशत निस्तारण औसतन 28 मिनट में किया गया। उपरोक्त शिकायतों में से वाणिज्य विभाग द्वारा 3899 शिकायतों का निस्तारण औसत 16 मिनट में किया गया।

नौकरी की आस लगाए बैठे आयुर्वेद और नर्सिंग अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी

12 साल बाद टूटी नियमित नौकरी की आस, नर्सिंग भर्ती 2013 में नियमित नियुक्ति की मांग वाली सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज की

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान में 12 साल से सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे आयुर्वेद और नर्सिंग अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है। हाईकोर्ट ने साल 2013 की कंपाउंडर व नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती में नियमित नियुक्ति की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चयन सूची में नाम होने मात्र से किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता।

- खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चयन सूची में नाम होने मात्र से किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 7 जून 2013 को विज्ञापन जारी किया था। जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में कंपाउंडर व नर्स जूनियर ग्रेड के कुल 1005 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट लिस्ट और चयन सूची भी जारी कर दी गई, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ, जब सरकार ने केवल 313 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए। शेष 692 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। तब रतन लाल पूर्बिया सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से 21 याचिकाएं दायर की गई। साल 2013 से 2025 तक यह लड़ाई अभ्यर्थियों के लिए काफी लंबी और थकाऊ रही है।

सबसे पहले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 27 फरवरी 2018 को खारिज कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए रिव्यू पिटीशन दायर की, लेकिन 24 अक्टूबर 2019 को सिंगल बेंच ने उसे भी खारिज कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में विशेष अपील दायर की, जिस पर अब 20 नवंबर को अंतिम फैसला आया है। अपीलकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि एक बार विज्ञापन जारी होने और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार नियुक्तियों को बीच में नहीं रोक सकती। वकील ने राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी सेवा नियम का हवाला दिया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने माना कि सिंगल बेंच का फैसला सही था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 7 जून 2013 के विज्ञापन में यह शर्त स्पष्ट रूप से लिखी थी कि पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसलिए सरकार द्वारा पदों को कम करना या न भरना गलत नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही अपीलकर्ताओं के नाम चयन सूची में हैं, लेकिन इससे उन्हें नियुक्ति पाने का कोई अटूट अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहा कि केवल चयन सूची के आधार पर सरकार को नियुक्ति देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार का फैसला वित्तीय कारणों और नीतिगत विचार-विमर्श पर आधारित है, जो तर्कसंगत है, इसलिए, कोर्ट सरकार के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता। इन आधारों पर हाईकोर्ट ने रतनलाल पूर्बिया और अन्य सभी जुड़ी हुई अपीलों को खारिज कर दिया।

1200 बीघा में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले की एसीबी से जांच की मांग

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की शाहपुरा तहसील के बोरडा बावरियान वन क्षेत्र में 800 बीघा में हुई अवैध कटाई एवं आसींद के नारायणपुरा में 400 बीघा में हुई अवैध पेड़ों की कटाई के मामले में पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन आनन्द कुमार, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सचिव तन्मय कुमार, प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सचिव, राष्ट्रपति कार्यालय को पत्र लिखा है। पत्र में डीएफओ गौरव गर्ग, एसीएफ पायल माथुर एवं रेंजर प्रभुलाल धुन पर मामले को दबाने और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। जाजू ने पत्र में पूरे मामले की एसीबी से जांच करवाने की भी मांग की है। जाजू ने कहा कि यदि उच्चाधिकारियों द्वारा दोषी अधिकारियों पर शीघ्र ही ठोस कार्रवाई नहीं होती है जो एनजीटी में गुहार कर पौधे लगवाएंगे।

- काटे गये पेड़ों के बदले नये पौधे लगाने की राशि डीएफओ व एसीएफ से वसूलने की मांग
- पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव व केन्द्रीय वन सचिव को लिखा पत्र

जाजू ने पत्र में बताया कि 5 नवंबर को फोरेस्टर विश्राम मीणा और सहायक वनपाल शंकर माली ने 800 बीघा क्षेत्र में अवैध कटाई की जानकारी तत्काल उच्च अधिकारियों को दी थी, लेकिन इसके बावजूद डीएफओ गौरव गर्ग दो दिनों तक मौके पर नहीं पहुंचे और न ही कटाई रोकने के लिए कोई कदम उठाए। जाजू ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ों के कट जाने पर डीएफओ का मौके पर न पहुंचना उनकी मिलीभगत का स्पष्ट संकेत है। जाजू ने दूरभाष पर जांच अधिकारी राजीव चतुर्वेदी से चर्चा करने के बाद बताया कि चतुर्वेदी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में भी डीएफओ और एसीएफ की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कटाई में उपयोग हुए वाहनों के नंबर मौके पर दर्ज मिले परंतु किसी भी वाहन को जब्त नहीं किया गया, पेड़ काटने वाले मुख्य आरोपी पीर मोहम्मद पर एफआईआर के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाजू ने वन विभाग के आला अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले को दबाने के लिए राजीव चतुर्वेदी को हटाकर महेशचन्द्र गुप्ता को नियुक्त किया गया, जिन पर स्वयं अनियमितताओं की जांच लंबित है।

जाजू ने लिखे पत्रों में मुख्य वन संरक्षक ख्याति माथुर, डीएफओ गौरव गर्ग, एसीएफ पायल माथुर, एसीएफ भीलवाड़ा मुन्नी चौधरी, रेंजर प्रभुलाल धुन एवं इन्हें संरक्षण देने वाले उच्चाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने एवं वनों में पेड़ों के कटने से हुई हानि के बदले नये पौधे लगाने एवं उनकी रखरखाव का खर्च डीएफओ गौरव गर्ग व एसीएफ पायल माथुर से वसूल करने की मांग की। जाजू ने मामले को दबाने के लिए निलंबित किये गये फोरेक्टर विश्राम मीणा और शंकर माली को तुरंत बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि इनके द्वारा पेड़ों की कटाई रोकने का प्रयास किया गया था।

आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से झटका

जोधपुर, (कासं)। दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आसाराम ने सत्संग करने, आश्रम में प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने-जुलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आसाराम को इसके लिए छूट देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आसाराम बापू के एक और अनुरोध पर अभी फैसला नहीं सुनाया है जिसमें उसने हर वक्त पुलिस पहरे से छूट मांगी थी।

आसाराम बापू ने अंतरिम जमानत के दौरान लगाई गई शर्तों में छूट मांगी थी। इस याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया और न्यायमूर्ति वी डी नानावटी की खंडपीठ ने सुनवाई की। बेंच ने स्पष्ट किया कि आसाराम बापू को सत्संग आयोजित करने या उसमें भाग लेने की कोई छूट नहीं दी जाएगी।

शराब ठेके के मालिक के घर पर नकली शराब फैक्टरी मिली

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले के गांव फतूही में एक शराब ठेके के मालिक के घर में नकली शराब की फैक्टरी मिलने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी का शराब ठेका भी सीज कर दिया और शराब की बोतलें जब्त कर ली। शराब फैक्टरी में एक असली बोतल से तीन-चार नकली बोतलें बनाकर 2-5 हजार रुपए में बेची जा रही थी।

- शराब फैक्टरी में एक असली बोतल से तीन-चार नकली बोतलें बनाकर 2-5 हजार रुपए में बेची जा रही थी
- छापे के बाद आबकारी विभाग ने लाइसेंस निरस्त कर शराब ठेका सीज कर दिया, ठेके में रखी सारी शराब जब्त की

आबकारी निरोधक थाना (शहर व ग्रामीण) और आबकारी इंस्पेक्टर सिटी-ग्रामीण की संयुक्त टीम ने फतूही गांव में मुकेश भांभू के घर छापा मारा। वहां से शराब की बोतलों को खोलकर दोबारा पैक करने की मशीनें, 19,231 ढक्कन, 144 खाली बोतलें बरामद किए थे। यह काम शहर के गोल बाजार में केदार चौक के पास चल रहे लाइसेंसी शराब ठेके का मालिक मुकेश भांभू कर रहा था। फतूही में बनाई गई मिलावटी और डुप्लीकेट शराब इसी ठेके पर लाकर बेची जा रही थी। छापे के बाद शुक्रवार को आबकारी विभाग ने गोल बाजार स्थित केदार चौक का ये शराब ठेका सीज कर दिया। ठेके में रखी सारी शराब जब्त कर ली गई।

आबकारी अधिकारी एचआर राठौड़ ने बताया कि एक महंगी बोतल (2 से 5 हजार रुपए तक) को खोलकर उसमें मिलावट कर दो से चार बोतलें तैयार की जा रही थी, फिर असली जैसी पैकिंग करके बाजार में सप्लई की जा रही थी। आरोपी का लाइसेंस निरस्त कर शराब ठेके को सीज कर दिया गया है। नकली शराब फैक्टरी में महंगी शराब की एक बोतल से अनेक बोतल बनाकर शराब को वापस शराब की दुकानों में लाकर बेचा जाता था। साथ ही शादी समारोह, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, सगाई आदि समारोह में एक साथ कई कार्टन की सेल बुक होने पर एक कार्टन में आधी असली और आधी नकली पैक की गई शराब की बोतलें डालकर दे दी जाती थी। इससे खरीददार यह पकड़ ही नहीं पाते थे कि उनको बेची गई महंगी शराब असली है या नकली है।